२००० / ७-१९९ म० प्र० रा० सह० मु० प्रे० शाखा इन्दौर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ

शाखा..

सुरक्षा निधि गृह के खण्ड (लॉकर) को किराये पर लेने का

आवेदन-पत्र

महोदय,

मुझे आपके सुरक्षा निधि गृह के एक.......................................टाईप खण्ड की ....माह के लिये आवश्यकता है। सुरक्षा निधि गृह सम्बन्धी समस्त जानकारी एवम् शर्ते बैंक से मैंने ज्ञात करली है। सुरक्षा निधि के खण्डों के उपयोग नियम मैंने पढ़े हैं वे मुझे स्वीकार होकर बन्धनकारक रहेंगे। नियमानुसार उपरोक्त खण्ड का किराया रु....................माह.................................का जमा करा रहा हूँ।

मैं स्वयं या मेरी ओर जवाबदारी पर श्री.. ....भी खण्ड का उपयोग करेंगे।

भवदीय,

दिनांक.........................१९९ ....

पता...

.... हस्ताक्षर

श्री..की ओर से....................................माह का किराया.......................जमा हुआ है।

खण्ड क्रमांक.....................की चाबी श्री...को दी गई है।

शाखा प्रबन्धक

चाबी क्रमांक.........................मुझे प्राप्त हुई।

दिनांक.................................१९९ ह० प्राप्तकर्त्ता

२०००/७-९१ म० प्र० रा० सह० मु० परि०, शाखा इन्दौर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ

शाखा.....

सुरक्षा निधि गृह के खण्ड (लॉकर्स) सम्बन्धी

अधिकार-पत्र

महोदय,

मैंने आपका सुरक्षा निधि खण्ड क्रमांक..... किराये पर लिया है। उसमें रखी हुई वस्तुएं मेरी मालकी की होकर उसका उपयोग मैं स्वयं या मेरी ओर से श्री..... .....करेंगे। मेरी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त खण्ड में रखी हुई वस्तुओं पर श्री..... .....का अधिकार होगा। खण्ड की चाबी उनके द्वारा आपको वापिस करने पर आपकी कोई भी जवाबदारी न होगी। आप श्री..... .....की मेरी ओर से खण्ड का उपयोग करने की अनुमती देंगे।

दिनांक.....१९९

उपरोक्त अधिकृती मुझे स्वीकार है।

.....

अधिकार पत्र देने वाले की सही

.....

उपरोक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर मेरे समक्ष हुए है।

शाखा प्रबन्धक

२०००-८-९१ अपेक्स प्रेस, शाखा इन्दौर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., झाबुआ

लॉकर के किराये पर लेने सम्बन्धी करारनामा

क्रमांक दिनांक.....१९९

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ और श्री..... इनको बैंक का लॉकर क्रमांक.....प्रकार.....आज दिनांक.....से .....तक निम्न शर्तों पर किराये पर देने का करार किया जाता है । इस मियाद का किराया रुपये.....अक्षरी रुपये.....पेशगी प्राप्त हुवा हैं ।

इन शर्तों के अनुसार यह किरायेदार जब तक वह समाप्त नहीं की जाता उन्हीं शर्तों पर इसी प्रकार आगे ..... मियाद तक उसी किराये पर जो कि किरायेदार ने अनिवार्यता अगाऊ पेशगी बैंक में जमा कराना है, चालू रहेगी ।

लॉकर का उपयोग संस्थायु किरायेदार के या उनमें हयात व्यक्तियों के जीवनकाल में जैसी स्थिति हो उनके द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग या उनमें से किसी एक के द्वारा होगा, जैसा नीचे उल्लेख है (चिन्ह ✓ लगाये) ।

स्वयं किरायेदार द्वारा	सयुक्त रूप से	अलग-अलग व्यक्ति द्वारा

संयुक्त किरायेदारों में से एक के अलावा बाकी व्यक्तियों के मृत्यु हो जाने की स्थिति मे किरायेदारी के सब हक उस व्यक्ति में निहित होंगे और उसके मृत हो जाने के स्थिति में उसके कायदेशीर वारीस में निहित होगे ।

किरायेदार की सही

.....

.....

.....

वास्ते :-जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या झाबुआ

शाखा प्रबन्धक

सेफ डिपाजिट लॉकर्स (खण्ड) की शर्तें

(१) लॉकर या खण्ड को किराये पर देने या नहीं देने सम्बन्धी अधिकार बैंक के अधीन रहेगा ।

(२) लॉकर या खण्ड के किरायेदार व बैंक इनमें सम्बन्ध लेसी व लेसर के रहेंगे न कि बैंकर व ग्राहक (कस्टमर) के रहेंगे ।

(३) लॉकर का वार्षिक किराया पेशगी देय होगा और किराये की ठहरी हुवी मुद्दत के पूर्व लॉकर खाली करने के स्थिती में प्राप्त हुवे किराये में से कोई रकम वापिस पाने का हक किरायेदार को नहीं रहेगा । लेकिन बैंक की ओर से आवश्यक नोटिस देने पर खाली किये हुये लॉकर सम्बन्धी प्राप्त किराये में से बकाया मियाद का किराया वापिस हो सकेगा ।

(४) सेफ डिपाजिट लॉकर रखने के स्थान सुरक्षानिधिगृह में किरायेदार को प्रवेश बैंक के छुट्टियों के दिन को छोड़कर सुबह ११-०० बजे से शाम ४-०० तक तथा शनिवार को सुबह ११-०० बजे से दोपहर १-०० बजे तक मिल सकेगा ।

(५) किराये पर लिये हुए लॉकर की केवल एक ही चाबी रहती है जो किरायेदार को दी जावेगी वह किरायदार को ठीक सम्हालकर रखना तथा दुसरों के हाथ नहीं पड़े ऐसी हिफाजत लेना आवश्यक है और किराये की मुद्दत पूर्ण होने पर चाबी बैंक को दोपहर के २-०० बजे के पूर्व वापसी सुपुर्द करना आवश्यक है ।

(६) किरायेदार के लॉकर में रखे या निकाले हुवे वस्तुओं के सम्बन्ध में बैंक की ओर न तो कोई निरिक्षण होगा न किसी प्रकार के सर्टीफिकेट दिये जावेंगे । केवल बैंक के अधिकृत अधिकारी लॉकर को खोलते व बन्द करते समय (Watch) नजर रखेंगे ।

(७) लॉकर में रखी हुई वस्तुओं सम्बन्धी जानकारी केवल किरायेदार को होने से उस सम्बन्धी किरायेदार की जिम्मेदारी रहेगी । बैंक से केवल उस लॉकर की मजबूती (in tact) बाबद गेरन्टी रहेगी ।

(८) बैंक के सुरक्षानिधि गृह में प्रवेश तथा लॉकर को खोलने व बन्द करने सम्बन्धी अनुमती केवल किरायेदार को ही रहेगी अन्य को नहीं । संयुक्त नाम से लॉकर किराये पर लिया गया हो तो उन संयुक्त किरायेदारों में से किसी एक को जिसे अधिकृत किया गया हो इस प्रकार प्रवेश की अनुमति रहेगी । कोई संस्था किरायेदार होने की स्थिती में उस संस्था के अधिकृत प्रतिनिधी को प्रवेश मिल सकेगा । संस्था के प्रतिनिधी को जब जब बदला होगा तब उस सम्बन्धी सूचना बैंक को प्राप्त होना चाहिये । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ही बदले हुए प्रतिनिधी को प्रवेश मिल सकेगा । संयुक्त किरायेदारों में से किसी एक की मृत्यु की स्थिती में बाकी एक या अधीक किरायेदारों (Survivors or Survivor) को प्रवेश की अनुमति रहेगी या किरायेदार के या संयुक्त किरायेदारो ने अधिकृत किये हुवे व्यक्ति को रहेगी बशर्ते की इस प्रकार अधिकृत किये हुवे व्यक्ति सम्बन्धी आवश्यक नोंद बैंक के किताबों में यथावत करवा ली गई हो किरायेदार एक ही व्यक्ति हो या संयुक्त किरायेदारों में एक ही जीवित व्यक्ति हो व वह मृत हो जाय तो उसके कानूनी वारीस जिसमें मृत व्यक्ति के एक्जीक्यटर या एडमिनिस्ट्रेटर कासमावेश होगा) को लॉकर खोलने की अनुमति प्राप्त हो सकेगी ।

(९) किरायेदारों की मियाद पूर्ण होने के दिन या उस दिन बैंक बन्द हो तो उसके पूर्व के दिन किरायेदार को चाहिये कि उसमें रखी हुई वस्तुएं निकाल ली जाकर लॉकर व उसकी चाबी बैंक के सुपुर्द करे । इसमें चुकी होने की स्थिति में किराये की

मुद्दत जब तक वह लॉकर खालीकर बैंक के सुपुर्द मय चाबी के किया नहीं जावे तब तक बढ़ाई हुई मानी जावेगी।

(१०) किरायेदार लॉकर को या उसके किसी हिस्से को दुसरे व्यक्ति के नाम तबदील नहीं कर सकता न उसे पोट किराये पर दे सकता या किमती वस्तुएं या अन्य जायदाद (Valuables and other Property) रखने के अलावा किसी अन्य काम में लॉकर का उपयोग कर सकता है परन्तु लॉकर का उपयोग विस्फोटक या विनाशकारक (exploseres or dis-tructive) या ऐसी वस्तुएं जो शासन द्वारा निषेध की गई है रखने के लिये नहीं कर सकता हैं।

(११) किराये की रकम की मांग बैंक द्वारा की गई हो या न की गई हो उसका भुगतान न करने की स्थिति में या उपरोक्त किसी भी शर्तो का पालन किरायदार द्वारा न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की वैधानिक कायवाही करने में कोई बाधा न होते हुए बैंक को यह अधिकार होगा कि किरायेदार को लॉकर का उपयोग न करने दे। किराये के भुगतान करने सम्बन्धी या शर्तो के पालन सम्बन्धी योग्य सूचना देने पर बैंक को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वह लॉकर को खोजे (Break open) वगैर या तो उसमें का माल किरायेदार की ओर उनके मेमोरेण्डम में बताये हुवे पते पर सुरक्षित पहुंच जाय ऐसे किसी तरीको का पालन कर भेजे या वह माल अन्य सुरक्षित स्थान पर रखे जिसके लिये किराये के दुगुनी रकम किरायेदार से वसूल की जावेगी और बैंक को इस प्रकार देय रकम का (line) चार्ज लॉकर में रखे हुवे माल पर रहेगा और बैंक को यह अधिकार होगा कि उस माल का या उसके हिस्से को समय-समय पर बेचकर खरीददार से देय किराया वसूल कर लेवे।

(१२) किरायेदार द्वारा सूचित पते पर पोस्ट द्वारा या प्यून द्वारा भेजी हुई कोई भी सूचना उचित मानी जावेगी (shall be deemed to have been duly served) पता बदलने को स्थिति में उससे बैंक को अवगत कराना किरायेदार का कर्तव्य होगा।

(१३) किरायेदार ने लॉकर की चाबी गुम कर दी हो तो उस सम्बन्धी बिना विलम्ब बैंक को सूचित कर देना चाहिये। लेकिन बैंक इस सम्बन्ध में किसी त्रुटी के लिये जिम्मेदार नहीं रहेगी। लॉकर को खोलने, ताला बदलने तथा चाबी बदलने सम्बन्धी खर्च का भुगतान किरायेदार को करना होगा।

(१४) लॉकर या उसका ताला या चाबी इन सम्बन्धी किसी प्रकार की आवश्यक दुरूस्ती या केवल बैंक द्वारा नियुक्त कारीगरों द्वारा ही हो सकेगी।

(१५) लॉकर में रखी हुवे किरायेदारों की जायदाद या माल पर उससे बैंक को देय सब प्रकार की रकमों की वसूली के लिये (general lien) रहेगा। और उसके वसूली के लिये उन देय रकमों के लिये जिनका भुगतान नहीं किया गया हो वह माल बेचकर रकम वसूल करने का अधिकार बैंक को रहेगा।

(१६) बिना पूर्व सूचना दिये सेफ डिपाजिट लॉकर्स के विभाग के कार्य के समय में परिवर्तन करना या इन नियमों में व शर्तो में तथा किराये की दरों में संशोधन करना या नये नियम व शर्तें जोड़ना या अन्य परिवर्तन करना और गंभीर या जरूरी आवश्यकताओं के कारण इस विभाग का कार्य बैंक आवश्यक समझे उस समय तक बन्द रखना आदि अधिकार बैंक के आधीन रहेंगे।

(१७) किरायेदार पर उपरोक्त शर्तें व नियम व किराये की दर या समय समय पर बैंक ने निर्धारित किये अन्य नियम व शर्तें व दर बन्धनकारक रहेगी। बैंक तथा किरायेदार इनमें किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाने की स्थिति में श्री पंजीयक महोदय सहकारी संस्थाएं म. प्र. या उन्हीके द्वारा नियुक्त किये हुवे अधिकारी को यह विवाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसका निर्णय दोनों को मान्य रहेगा।

(१८) एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से या एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लॉकर किराये पर ले सकते हैं। किरायेदार एक व्यक्ति होने की स्थिति में उसे व संयुक्त व्यक्ति होने की स्थिति में उन सबको किरायेदार संबंधी सब शर्तें बन्धनकारक रहेगी।

(१९) किरायेदार को लॉकर का उपयोग करने के पूर्व ही लॉकर में रखी जानेवाली वस्तु या वस्तुए खुद के स्वामित्व की हैं या दूसरों के अंशतः या पूर्णतः स्वामित्व की है। इस बाबद या किसी संगठित या असंगठित संस्था के स्वामित्व की है इस बाबद पूर्ण खुलासा कर देना चाहिये। किरायेदार की हयाती में लॉकर में रखी वस्तुओं के स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार का वाद उत्पन्न हुवा तो योग्य न्यायालय के निर्णय व आज्ञानुसार कार्यवाही की जावेगी। किरायेदार बैंक का सदस्य नहीं होने की स्थिति में किरायेदार की मृत्यु के पश्चात लॉकर में रखी हुई वस्तुओं के स्वामित्व संबंधी हक्कदार वारिस व्यक्ति को योग्य न्यायालय से वारिसान सर्टीफिकेट प्राप्त करना होगा। लेकिन किरायेदार बैंक का सदस्य होने की स्थिति में सहकारी विधान के अनुसार मृत सदस्य के वारिस संबंधी नियमों का अमल किया जावेगा व बैंक के संचालक मण्डल ने ठहराये हुवे वारिस को या मृत सदस्य ने अपने हयाति में बैंक में नामजद किये हुवे वारीस व्यक्ति को लॉकर में रखी वस्तुएं प्राप्त करने का हक्क रहेगा। इस प्रकार कानून व विधान के अनुसार कार्यवाही होने पर बैंक की किसी प्रकार की जिम्मेदारी लॉकर में रखी वस्तुओं संबंधी नहीं रहेगी।

(२०) संयुक्त किरायेदारों की स्थिति में उनमें से किसी एक को बाकी के व्यक्तियों ने अधिकृत करना व उस एक ने इस अधिकृति को मान्य करने पर अधिकृत व्यक्ति को लॉकर का उपयोग संयुक्त किरायेदार की ओर से करते आवेगा। इस प्रकार अधिकृत किये हुवे व्यक्ति के सिवाय संयुक्त किरायेदारों में से अन्य व्यक्ति को सुरक्षानिधि गृह में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। संयुक्त किरायेदारों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति के मृत्यु की स्थिति में जब तक इनके मृत्यु संबंधी अधिकृत माहिती बैंक को प्राप्त नहीं हो तब तक लॉकर के उपयोग संबंधी किसी प्रकार की जिम्मेदारी बैंक की नहीं रहेगी।

उपरोक्त शर्तें मुझे/हमें मान्य है।

१.....

२.....

पता.....

मेरे समक्ष अनुबन्ध संपादित हुआ।

शाखा प्रबन्धक

समक्ष : १.....

२.....

दिनांक.....